


वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-66 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) और अनुच्छेद 44 के खण्ड (डड) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और दस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-121]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव


**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-66 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the instruments specified in clause (c) of Article 5 and sub-clause (ii) of clause (ee) of Article 44 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent subject to maximum of rupees ten thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-121]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government